राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय,परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462023)
(M.P.Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautamnagar Bhopal-462023)
दूरभाष– 91–0755–2583653, फेक्स– 91–0755–2583651 , Email: mp.rmsa@gmail.com

क्रमांक / लो.शि.सं. / RMSA / 2010 / 77/511 भोपाल, दिनांक 18/11/2010

प्रति ,

1. संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण संभाग
2. जिला शिक्षा अधिकारी
   समस्त जिले

विषय– शाला वार्षिक अनुदान एवं माइनर रिपेयर की राशि जारी करने एवं व्यय विषयक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हाईस्कूल शालाओं को वार्षिक अनुदान के रूप में ₹ 50,000 एवं माइनर रिपेयर हेतु ₹ 25,000 वार्षिक प्रदान करने का प्रावधान है। भारत शासन द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु हाईस्कूलों के लिए वार्षिक अनुदान के रूप में ₹ 40,000 एवं माइनर रिपेयर हेतु ₹ 25,000 की राशि की स्वीकृति दी गई थी। यह राशि जिलों के खातों में जारी कर दी गई है। राज्य स्तर से पूर्व में इस राशि को हाईस्कूल में गठित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के खाते में जारी कर इसका उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है।

वर्ष 2009–10 के लिए वार्षिक अनुदान के लिए स्वीकृत राशि ₹ 40000–

राशि	मद	विवरण
₹ 25000	प्रयोगशाला	1. प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत 2. प्रयोगशाला उपकरणों को बदलने 3- प्रयोगशाला उपयोग हेतु सामग्री कय (consumables/ chemicals etc.) 4. प्रयोगशाला रखरखाव 5. विज्ञान एवं गणित के लिए अन्य गतिविधियों 6. शाला की आवश्यकतानुसार अन्य व्यय
₹ 5000	समाचार पत्र, पत्रिकाओं के कय हेतु	1. शाला स्तर पर तय किए गए समाचार पत्र पत्रिकाएं
₹ 10000	आकस्मिक व्यय	1. पानी, बिजली, टेलिफोन, इंटरनेट देयक भुगतान इत्यादि (अधिकतम ₹ 5000) 2. टीचिंग एड हेतु 3. बैठक व्यय, आकस्मिक व्यय इत्यादि 4. शाला की आवश्यकतानुसार अन्य व्यय

वर्ष 2009–10 के लिए माइनर रिपेयर के लिए स्वीकृत राशि ₹ 25000–

राशि	मद	विवरण
₹ 25000	माइनर रिपेयर	निम्नानुसार मरम्मत, रखरखाव कार्य किए जा सकेगें 1. शाला भवन मरम्मत, रखरखाव, पुताई, शालाअ को सुदर एवं आकर्षक बनाने, शाला की आवश्यकता अनुरूप कार्य इत्यादि हेतु 2. शौचालय 3. पानी का टेंक 4. खेल का मैदान 5. केम्पस 6. पर्यावरण संरक्षण (कंजरवेंसी सर्विसेस) 7. विद्युत फिटिंग, 8. सेनिटरी एवं अन्य फिटिंग 9. फर्नीचर, उपकरण

कय प्रकिया –

- शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- बैठक में आवश्यकतानुसार क्या क्या कार्य/सामग्री कय की आवश्यकता है औचित्य एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- सामग्री कय हेतु शासकीय नियमों का पालन किया जाएगा।
- सामग्री एवं कार्य का प्रमाणीकरण समिति द्वारा स्वयं किया जाएगा एवं प्रत्येक गतिविधि को बैठक के कार्रवाई विवरण का अंग बनाया जाएगा।

लेखा संधारण प्रकिया

- जिले से राशि सीधे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के खाते में प्रदान की जाएगी।
- इसका संधारण केशबुक एवं लेजर में किया जाएगा।
- राशि से कय की गई सामग्री के बिल, वाउचर,फाईल संधारित किए जाएगें।
- कय सामग्री भण्डार पंजी में दर्ज की जाएगी।
- समिति के अध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से संलग्न परिशिष्ट 1 पर दर्शित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रत्येक त्रैमास में प्रस्तुत करेंगें।

- **इन निर्देशों में अंकित उपमदों के विवरण से अन्यथा आवश्यक कार्य भी जो स्थानीय स्तर पर शाला की आवश्यकता के अनुरूप एवं छात्रहित में आवश्यक हों शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा निर्णय लेकर किए जा सकेंगें किन्तु प्रत्येक मद में अधिकतम सीमा का पालन करना आवश्यक होगा।**

उपरोक्तानुसार जानकारी से सर्वसंबंधित शालाओं को अवगत कराएं। शालाओं के भ्रमण के दौरान राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा कर अवलोकन करें। निर्धारित समयसीमा में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

16.11.2010

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण

परिशिष्ट 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को दिए गए अग्रिम के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष – 20...........– 20..........

जिला –

विकासखंड –

संकुल केन्द्र

ग्राम का नाम

शाला का नाम

बैंक खाता कमांक

डाइस कोड

सेमिस कोड

स. क्र.	मद	कुल उपलब्ध राशि			त्रैमासिक व्यय विवरण					शेष राशि	रिमार्क यदि हो (SMDC की बैठक का दिनांक दें)
		वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि (1 अप्रैल ....को)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुल राशि	अप्रैल से जून तक व्यय	जुलाई से सितबर तक व्यय	अक्टू. से दिसबर तक व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	वर्ष में कुल व्यय		
1	वार्षिक अनुदान										
1.1	प्रयोगशाला										
1.2	समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें										
1.3	आकस्मिक व्यय										
2	माइनर रिपेयर										
3	अन्य मद ....(यदि राशि मिली हो तो मद के नाम के साथ विवरण दें)										
4	ब्याज से प्राप्त राशि										
5	**कुल राशि**										

अंतिम शेष का विवरण

1. नगद राशि –
2. बैंक में कुल शेष
3. कुल योग

हस्ताक्षर

अध्यक्ष शाला विकास एवं प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर

सचिव शाला विकास एवं प्रबंधन समिति